संख्याः 3446 /1–10–2008–12(73)/2008टीसी–2

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन
राहत आयुक्त एवं सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक
पी0ए0सी0,मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 09 जुलाई, 2008

विषयः संभावित बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैनात पी0ए0सी0 कम्पनी को Portable-Inflatable Emergency Lighting System उपकरण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2008 के में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि संभावित बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैनात पी0ए0सी0 की 10 कम्पनी को एक–एक Portable-Inflatable Emergency Lighting System उपकरण उपलब्ध कराने हेतु रू0 1,77,368/–प्रति उपकरण की दर से कुल धनराशि रू0 17,73,680/– (रूपये सत्रह लाख तिहत्तर हजार छः सौ अस्सी मात्र) आवंटित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। Portable-Inflatable Emergency Lighting System उपकरण का क्रय डी0जी0 एस0एन0डी0 रेट कान्ट्रैक्ट के आधार पर 10 दिन में

कर लिया जाय। उक्त उपकरण का रखरखाव पी0ए0सी0 द्वारा ही किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की जा रही है, इस हेतु ही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी उपकरण की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपने विचार अधोहस्ताक्षरी को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. आपदा राहत निधि से आंवटित धनराशि के व्यय के आकड़ों का पुस्तांकन (बुकिंग) महालेखाकार कार्यालय के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं निम्नाकित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित राजस्व अनुभाग–10 को **दिनांक 15 सितम्बर, 2008** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय÷

(क) व्यय का विवरण ÷

क्र0सं0	उपकरण का नाम	क्षमता	प्रत्येक उपकरण की पहचान संख्या	मूल्य	गांरटी अवधि	जीवन अवधि

(ख) आपदा राहत निधि के पक्ष में अवशेष धनराशि रू0.. बैंक ड्राफ्ट संख्या...दिनांक..................................भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ पर भुगतान हेतु वापस किया जा रहा है।

दिनांकः मुहरयुक्त हस्ताक्षर

7. आपदा राहत निधि से जो नये उपकरण क्रय किय जाय उनके पूर्ण विवरण की एक पंजिका पी0ए0सी0 मुख्यालय पर रखी जाय, जिसमें आपदा राहत निधि से प्राप्त धनराशि का मदवार उल्लेख किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3546 (1)/1–10–2008–12(73)/2008 टी0सी0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित÷

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदे इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मैनेजिंग डायरेक्टर, आस्का इक्यूपमेन्ट लि0 193, दिपाली, दिपाली चौक, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग 6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजाराम)

अनु सचिव

E/Manoj/Allot-08[Flood]